भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1656

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

बाल श्रम पर रोक लगाने हेतु तंत्र

1656. श्री अरुण साव:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री मोहन मंडावी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री देवजी पटेल:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री विजय बघेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बाल श्रम पर रोक लगाने और बाल श्रम संबंधी आंकड़े रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) सरकार द्वारा बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के सख्त कार्यान्वयन के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत किए गए कार्यों की कोई समीक्षा की है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसे और अधिक सफल बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में एनसीएलपी के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को गुजरात सहित राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सरकार ने बाल श्रम की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर उचित रूप से विचार करते हुए बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था।

संशोधित अधिनियम को अब बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 कहा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों का जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने अथवा नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर टास्क फोर्स के लिए प्रावधान है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधान ठीक से प्रवृत्त होते हैं। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर) के रूप में प्रवर्तन तंत्र का प्रावधान किया है।

(ग) से (ङ): वित्त मंत्रालय के संगत निर्देशों के अनुसार एनसीएलपी योजना को 31 मार्च, 2021 से आगे जारी रखने के लिए मूल्यांकन किया गया था। एनसीएलपी योजना को चरणबद्ध तरीके से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना में समाहित कर लिया गया है। वर्ष 2022-23 (31.01.2023 तक) के दौरान एनसीएलपी योजना के तहत राज्य-वार जारी किए गए अनुदान का विवरण संलग्न है।

* ******

अनुबंध

'बाल श्रम पर रोक लागने हेतु तंत्र' के संबंध में श्री अरुण साव, श्रीमती पूनमबेन माडम, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, श्री मोहन मंडावी, श्री दिलीप शइकीया, श्री देवजी पटेल, श्री रणजित सिंह नाईक निंबालकर और श्री विजय बघेल द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1656 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में सदंर्भित अनुबंध

वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत जारी राज्य-वार अनुदान निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2022-23***
1	आंध्र प्रदेश	116.37
2	असम	140.68
3	झारखंड	60.72
4	कर्नाटक	12.27
5	मध्य प्रदेश	236.50
6	महाराष्ट्र	102.54
7	ओडिशा	43.24
8	पंजाब	37.53
9	तमिलनाडु	178.14
10	तेलंगाना	94.65
11	उत्तर प्रदेश	99.91
12	पश्चिम बंगाल	424.26

* 31.01.2023 तक

*****